



2026:AHC:33347

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 2226 सन् 2026

नरेंद्र कुमार गौतम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर परदेस राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद मोहन पांडे, प्रभाकर सिंह

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद मोहन पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।

2. विद्वान स्थायी वकील श्री मनीष कुमार ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब याचिकाकर्ता सहायक सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, तब 06.02.2025 को उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि पुलिस कर्मचारी के वेतन के गलत निर्धारण के संबंध में वसूली क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने 19.02.2025 एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए एक महीने का समय मांगा था, हालांकि, 26.02.2026 के आदेश के माध्यम से, एसएसपी, मथुरा ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए ₹ 13,225 रुपये की राशि की वसूली का दंड लगाया है।

4. उक्त आदेश पर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका दाखिल की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं उठराया जा सकता, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को दिनांकित 06.02.2025 को

2

कारण बताओ नोटिस तामील कराया गया था और याचिकाकर्ता को 20.02.2025 तक जवाब देना था, लेकिन याचिकाकर्ता ने इससे पहले ही जवाब दे दिया। याचिकाकर्ता ने 19.02.2025 को प्रभावी उत्तर देने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, हालांकि, एक अलग आदेश पारित करते समय इस अनुरोध को किसी भी समय अस्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन याचिकाकर्ता को उक्त अनुरोध की अस्वीकृति के बारे में उस आदेश के माध्यम से पता चला जिसके द्वारा वसूली की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए और मामले को प्राधिकरण को वापस भेजा जाए ताकि वह नया आदेश पारित कर सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता उस स्थिति के लिए जिम्मेदार है जो उसने पैदा की है और उसे परिणाम भुगतने होंगे, हालांकि, उनके अनुसार, मालिकाना हक ने मांग की थी कि समय विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार करने का अलग आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

7. मैंने प्रस्तुत दलीलें सुनी और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि 06.02.2025 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि 20.02.2025 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने 19.02.2025 को जवाब देने के लिए एक महीने का समय मांगा था, हालांकि, आक्षेपित आदेश 26.02.2025 को पारित किया गया। वास्तव में, एक बार समय बढ़ाने का अनुरोध किए जाने के बाद, प्रत्यर्थीगण का यह विधिक दायित्व है कि वे अनुरोध को अस्वीकार करते हुए एक अलग आदेश पारित करें ताकि याचिकाकर्ता उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सके। उक्त प्रक्रिया पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि अनुरोध को अस्वीकार करने का आदेश दंड लगाने के उसी आदेश में निहित है, इसलिए, आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं किया जा सकता है।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:-

(क) मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.02.2026 को रद्द किया जाता है;

(ख) रिट याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा;

(ग) आदेश 31.03.2026 तक पारित किया जाएगा।

10. उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

16 फरवरी, 2026

एन०एस०राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"